न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00138 (Bank Case)
Manual no- 41/2020

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।
– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति माया बाई (ऋणी / बंधककर्ता)
   पता– 630, मस्जिद के पास, खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326519
2. बालचन्द मीना पुत्र श्री प्रताप मीना (सहऋणी)
   पता– 630, मस्जिद के पास, खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326519
   दूसरा पता– पट्टा नं. 5, गोवर्धननाथ जी टेम्पल, खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
3. कमलेश पुत्र नन्द किशोर (जमानती)
   पता–60, पानी की टंकी, खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, राजस्थान–326519
   – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 07.11.2015 को 20,00,000/– (अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक अचल सम्पत्ति **बालचन्द मीना पुत्र श्री प्रताप मीना की सम्पत्ति– पट्टा नं. 5, गोवर्धननाथ जी टेम्पल, खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 993.75 वर्गफुट है । जिसका पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा बालचन्द मीणा के नाम दिनांक 5.3.2004 को जारी किया गया है । जिसका पंजीयन उप पंजीयन रामगंजमण्डी द्वारा 30.6.2004 को पंजीयन किया गया है । जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में –आम रास्ता पश्चिम में– बाबूलाल गुर्जर का मकान, उत्तर में– आम रास्ता, दक्षिण में– रमेश मीना का मकान** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

को दिनांक. 10.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 18,39,436/– (अक्षरे अट्ठारह लाख, उन्तालिस हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 22.10.2019 तक शेष देय है व दिनांक 23.10.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 25.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 25.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **बालचन्द मीना पुत्र श्री प्रताप मीना की सम्पत्ति– पट्टा नं. 5, गोवर्धननाथ जी टेम्पल, खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 993.75 वर्गफुट है । जिसका पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा बालचन्द मीणा के नाम दिनांक 5.3.2004 को जारी किया गया है । जिसका पंजीयन उप पंजीयन रामगंजमण्डी द्वारा 30.6.2004 को पंजीयन किया गया है । जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में –आम रास्ता पश्चिम भें– बाबूलाल गुर्जर का मकान, उत्तर में– आम रास्ता, दक्षिण में– रमेश मीना का मकान** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner